"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर 2005—अग्रहायण 1, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-84/2004/38.—भारत के संविधान में अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में आपाती नियुक्तियों के नियमितीकरण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आपाती नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 2005 होगा.

(2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **अध्यारोही प्रभाव :—**

ये नियम इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे.

3. **परिभाषाएं :**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन.

(ख) "आपाती नियुक्ति" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 के नियम 15 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई नियुक्ति.

(ग) अनुसूची में वर्णित किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे पद पर नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची.

4. **व्याप्ति तथा लागू होना :—**

ये नियम, अनुसूची में वर्णित पदों पर 1-1-87 के पश्चात् की गई आपाती नियुक्तियों के नियमितीकरण के लिए लागू होंगे, यदि विभाग की जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है जो किन्हीं कारणों से छूट गया हो, तो ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, छानबीन समिति को भेजा जा सकेगा.

5. **नियमितीकरण की तिथि :—**

आपाती रूप से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों का नियमितीकरण, नियमितीकरण आदेश जारी होने के दिनांक से मान्य होगा.

6. **नियमितीकरण के लिए पात्रता :—**

ऐसे अचयनित सहायक प्राध्यापक, जो आपाती रूप से नियुक्त हैं तथा अचयनित सहायक प्राध्यापक के रूप में अभी भी कार्यरत है, नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे.

ऐसे अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग के सहायक प्राध्यापकों को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 की तृतीय अनुसूची के कॉलम 5 (उच्चत्तर आयु सीमा 30 वर्ष) में छूट रहेगा किन्तु वे ही अचयनित आपाती सहायक प्राध्यापक नियमितिकरण के पात्र होंगे जो भर्ती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं की पूर्ति करते हों.

7. **विभागीय छानबीन समिति का गठन :—**

(1) विभागीय छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क)	आयुक्त/सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन	-	अध्यक्ष
(ख)	विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	-	सदस्य
(ग)	उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग	-	सदस्य
(घ)	आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा नामांकित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य.	-	सदस्य
(ङ)	अपर संचालक, उच्च शिक्षा	-	सदस्य सचिव

(2) आपाती नियुक्तियों के नियमितीकरण के मामलों की छानबीन करने के लिए छानबीन समिति बैठकें आयोजित करेगी.

8. **उपयुक्तता का निर्धारण :—**

(1) छानबीन समिति, अनुसूची में वर्णित पदों पर आपाती आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामलों की छानबीन करने के पश्चात् इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियमितीकरण के लिए पात्रता/उपयुक्तता का निर्धारण करेगी.

(2) मामलों की छानबीन करते समय संबंधित व्यक्ति की सामान्य उपयुक्तता का निर्धारण करते समय उनके गोपनीय प्रतिवेदनों को भी ध्यान में रखा जायेगा.

(3) छानबीन समिति नियमितीकरण के लिए उपयुक्त पाये गये आपाती सहायक प्राध्यापकों की सूची शासन को प्रेषित करेगी.

9. **नियुक्ति :—**

छानबीन समिति द्वारा नियमितीकरण के लिए उपयुक्त पाये गये आपाती सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का आदेश शासन द्वारा जारी किया जायेगा.

10. **ज्येष्ठता :—**

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति केवल नियमित नियुक्ति के आदेश की तारीख से ही ज्येष्ठता का हकदार होगा तथा इन नियमों के अधीन नियमित व्यक्ति को पूर्व में सुसंगत भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा.

(2) चयन सूची के पदक्रम सूची में ज्येष्ठता में व्यक्तियों के नाम निर्धारित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ से परामर्श के बाद पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे.

11. **आरक्षण :—**

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्धों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी निर्देशों या नियमों का, इन नियमों के अधीन नियमित नियुक्ति करते समय पालन किया जायेगा.

12. **परिवीक्षा :—**

आपाती नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की लम्बी सतत् सेवा अवधि तथा समय-समय पर माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये गये वार्षिक वेतन वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें वेतन वृद्धियां मिलती रहेंगी, परन्तु उनकी सेवाएं उनके नियमित नियुक्ति आदेश के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर होंगी.

13. **पेंशन :—**

आपाती नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियमित शासकीय सेवा में आने के पश्चात्, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 41/2000, क्रमांक 980/सी-761/वि.नि.चार/04, दिनांक 27-10-2004 के तहत 1-11-2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

पद जिन पर आपाती/सुपरन्यूमेरेरी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को नियमित किया जा सकेगा :—

अनुक्रमांक (1)	विभाग का नाम (2)	पदों के नाम (3)
1.	उच्च शिक्षा	1. सहायक प्राध्यापक

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2005

क्रमांक एफ 1-84/2004/38.—भारत के संविधान में अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-84/2004/38 दिनांक 22-11-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd November 2005

NOTIFICATION

No. F 1-84/2004/38.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the regularisation of Emergency Appointments in the Higher Education Department, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement :—**

(1). These rules shall be called "The Chhattisgarh Regularisation of the Emergency Appointment Rules, 2005."

(2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Overriding effect :—**

These rules shall have effect not with standing anything to the contrary contained in any other rules or orders on the subject for the time being in force.

3. **Definitions :—** In these rules unless the context otherwise requires-

(a) "Government" means State Government of Chhattisgarh.

(b) "Emergency Appointment" means appointments made as per the provisions of Rules 15 of Chhattisgarh Educational Services (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990.

(c) "Appointment authority" in relation to any post mentioned in the schedule means, an authority competent to make appointment on such post.

(d) "Schedule", means a schedule appended to these rules.

4. **Scope and application :—**

These rules shall apply for regularisation of emergency appointments made to the posts after 1-1-1987 as mentioned in the schedule. If any case comes to the knowledge of the department which has been left due to some reason or the other, such case shall be referred to the Screening Committee with prior approval of the State Government.

5. **Date of Regularisation :—**

Assistant Professors appointed on emergency basis shall be regularised from the date of order of regularisation.

6. **Eligibility for Regularisation :—**

Such Assistant Professors who have been appointed on Emergency basis and are still working as non selected Assistant Professor shall be eligible for regularisation.

Such Assistant Professors of unreserved and reserved categories shall be regularised by relaxing the provisions of column 5 (upper age limit 30 years) of third schedule of Chhattisgarh Educational Services (Collegiate Branch) Recruitment Rules, 1990, provided they fulfil the necessary educational qualifications as stipulated in the recruitment rules.

7. Constitution of Departmental Screening Committee :—

(1) Departmental Screening Committee shall consist of the following members :—

(a)	Commissioner/Secretary, Department of Higher Education Govt. of Chhattisgarh.	-	Chairman
(b)	Special Secretary/Joint Secretary, Department of Higher Education Govt. of Chhattisgarh.	-	Member
(c)	Deputy Secretary, Department of Higher Education Govt. of Chhattisgarh.	-	Member
(d)	A Principal, of Govt. P.G. College nominated by the Commissioner, Higher Education.	_	Member
(e)	Additional Director, Higher Education.	-	Member Secretary

(2) The screening committee shall convene meetings to scrutinise the cases of regularisation of Emergency appointments.

8. Determination of suitability :—

(1) The screening committee shall determine the eligibility/suitability for regularisation after scrutinising the cases of the persons appointed on emergency basis to the post mentioned in the schedule in accordance with the provisions of these rules.

(2) While scutinising the cases for determining the general suitability/eligibility of the persons concerned their confidential reports shall also be taken into consideration.

(3) The screening committee shall send the list of emergency appointed assistant professors found eligible for regularisation to the Government.

9. Appointment :—

The appointment orders of Emergency Assistant Professors found suitable for regularisation by the Screening Committee shall be issued by the Government.

10. Seniority :—

(1) A person appointed under these rules shall be entitled to seniority only from the date of the order or regular appointment and the person regularised under these rules shall be placed below the persons appointed in accordance with the relevant recruitment rules prior to the appointment of such persons under these rules.

(2) To determine the names of the persons in order of seniority in the selection list, separate orders shall be passed after consultation with the General Administration Department of Chhattisgarh.

11. Reservation :—

The Provisions of Chhattisgarh Civil Services (Scheduled Caste/Tribes and other backward classes reservation) Act. 1994 and the directions or rules regarding reservation for the scheduled Caste and Scheduled Tribes and other backward classes shall be complied with while making regular appointment under these rules.

12. Probation :—

In the light of the long continuous services of emergency appointed assistant professors and the annual increments having been granted by the Honourable Courts from time to time to them, their increments shall be continued but their services shall be on probation for two years from the date of order of regular appointment.

13. Pension :—

Emergency appointed Assistant Professors after regularisation in Government Service as per finance department order No. 41/2000 under No. 980/C-761/F-R-4/2004, dated 27-10-2004 from 1-11-2004 the new contributory pension scheme shall be applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. D. GUPTA, Deputy Secretary.

SCHEDULE
(See Rule 4)

Posts in which persons appointed on the basis of Emergency/Supernumerary can be regularised :—

Sr. No. (1)	Name of the Department (2)	Name of Post (3)
1.	Higher Education	1. Assistant Professor

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.